भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1493
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शून्य अपशिष्ट प्रबंधन

†1493. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उच्च पुनर्चक्रण दर वाले देशों जैसे जर्मनी (66.1%), सिंगापुर (60.6%), दक्षिण कोरिया (59%) से शून्य अपशिष्ट प्रबंधन की प्रौद्योगिकियों और मॉडलों को अपना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार उक्त मुद्दे पर किस प्रकार पहल कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार पुनर्चक्रित और प्रतिस्थापित उत्पादों को उसी जीएसटी सीमा के अंतर्गत मानती है, जो कि मूल सामग्रियों से बने उत्पादों के लिए है और जिससे पुनर्चक्रित या प्रतिस्थापित उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 यूरोपीय संघ की अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों के अनुरूप हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2021 को शुरु किया गया है। मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने कम्पोस्ट, जैव-मीथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस आदि जैसे अपशिष्टों के न्यूनीकरण, संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के माध्यम से अपशिष्ट को रिफ्यूज करने, कम करने, पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने के लिए विभिन्न मॉडलों और प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकारें उपचार प्रौद्योगिकियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

यह मिशन सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी चुनौतियों और जीईएम में समावेशन की सुविधा में निवेश के माध्यम से छोटे और निजी उद्यमियों और स्टार्ट-अप को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवप्रवर्तन वाले, लागत प्रभावी समाधान और व्यवसाय मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) राज्य का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों का कार्य है। सभी वैधानिक कस्बों/शहरों के लिए एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 को लागू करना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को पूरा करना अनिवार्य है।

(ख) जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है और जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, प्लास्टिक, रबर, लोहा और इस्पात, तांबा, एल्युमीनियम, निकल सीसा, जस्ता, टिन, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जैसे उत्पादों और उनके अपशिष्ट और स्क्रैप पर आम तौर पर 18% जीएसटी लगता है।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को 8 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों में ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये नियम अपशिष्ट के स्रोत स्तर पर ही पृथक्करण और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अनिवार्य बनाकर सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। स्थानीय निकायों को अधिदेश है कि वे केवल उपयोग न किए जाने योग्य, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैविक, गैर-दहनशील तथा गैर-अनुक्रियाशील निष्क्रिय अपशिष्ट तथा प्रसंस्करण-पूर्व अस्वीकृत अपशिष्टों और प्रसंस्करण सुविधाओं संबंधी अवशेषों को ही स्वच्छ लैंडफिल तक जाने दें तथा 'लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट' के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अस्वीकृत अपशिष्टों को पुनःचक्रित या पुनः उपयोग करने के संबंध में हर संभव प्रयास किए जाएँ।

*****